

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा
डिक्री

दिनांक :- 29/01/2026

वादीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री नवीन जैन अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं शपथ पत्र वादीगण के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाती है-

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



प्रतिवादी स. 3 के नाम दर्ज कृषि भूमि 139/6325 हिस्सा में प्रतिवादी स. 3 का नाम कलमजन कर वादी ^{बादल} का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे व खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न हों तथऱ अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न हों, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं हों की व समस्त प्रकार के भार मुक्त हों तथऱ किसी प्रकार के राजस्व हानि न हों की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथऱ भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 29/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल ^{आर.ए.एस.})
सहायक सहायक एवम्
सहायक सहायक पीलीबंगा
पीलीबंगा